नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा दिनांक 12.10.2022 को जन स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री प्रभाष कुमार, विशेष कार्याधिकारी श्री इन्दु प्रकाश सिंह, विशेष कार्याधिकारी श्री अविनाश त्रिपाठी, उप महाप्रबन्धक/वरि0 परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य) श्री एस0पी0 सिंह एवं परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य)–प्रथम/द्वितीय उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये –

1. नौएडा क्षेत्र में प्रस्तावित 4 डॉग शेल्टर के संचालन हेतु आर0डब्लू0ए0 से सहमति लेकर एम0ओ0यू0 गठित कराते हुए डॉग शेल्टर का निर्माण 01 माह पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
2. HCL को सैक्टर–94 में संचालित ICCC में सभी एजेन्सियों के वाहनों, स्टाफ की अटेन्डेन्स, विभागीय वाहनों, C & D Waste Collection, Remediation Plant का Data माह नवम्बर 2022 के अंत तक पूरी तरह से इन्टीग्रेट/लिंक कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। सभी कार्यों का भुगतान ICCC से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार करने हेतु निर्देशित किया गया। HCL को Door to Door वेस्ट क्लेशन वाहनों पर सैग्रीगेशन की awareness हेतु 50 स्टाफ की तैनाती एवं 100 वॉकी–टॉकी सेट माह अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
3. Door to Door Agency M/S AG Enviro को विभिन्न ग्रामों/सैक्टरों में सर्वे कर वाहनों की अतिरिक्त संख्या की गणना कर माह अक्टूबर में वाहनों की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। वाहनों पर 50 अतिरिक्त स्टाफ तैनात कर सैंग्रीगेशन को प्रभावी बनाने के निर्देश दिये गये। सभी वाहनों का रूट चार्ट, हाऊस मैपिंग से प्राप्त रिकार्ड, वाहनों के मुवमेन्ट के रिकार्ड तथा प्रतिदिन किये जाने वाले वेस्ट कलेक्शन को ICCC से लिंक करने के निर्देश दिये गये। **Door to Door Vehicle द्वारा लक्ष्य से कम दूरी तय करने एवं हाऊस मैपिंग से कम घरों से कूड़ा उठाने के एवं सैग्रिगेशन न किये जाने, खुले से कूड़ा समय से न उठाने एवं विभिन्न सैक्टरों एवं ग्रामों से डोर टू डोर कूड़े का निस्तारण समय से न होने के दृष्टिगत Door to Door Agency M/S AG Enviro को Show Cause नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।**
4. सैक्टर–94 स्थित ICCC के सोफ्टवेयर के साथ ISTMS के डाटा को इटीग्रेट कर चौराहों से गुजरने वाले स्वीपिंग वाहनों, डोर टू डोर वाहनों पर मॉनीटीरिंग करने के निर्देश दिये गये।
5. **सभी कर्मचारियों को ड्रेस व सुरक्षा उपकरणों के साथ काम करने हेतु निर्देशित किया गया। जो कर्मचारी ड्रेस में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो उनके अटेडेंस न लिए जाने तथा उनको उस दिन काम पर न लेने हेतु भी निर्देशित किया गया तथा जो कर्मचारी लगातार अनुपस्थित चल रहे है उनको कार्य से निकालने हेतु निर्देशित किया गया।**
6. जन स्वास्थ्य विभाग की सभी निविदाओं जैसे बायोरेमिडिएशन, कन्सलटेन्ट, जोन के अंतर्गत सफाई कार्यों, पैट वैक्सीनेशन आदि को एक सप्ताह में सक्षम स्तर से अनुमोदन कराते हुए अनुबन्ध/MOU तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. केन्द्र सरकार द्वारा नौएडा क्षेत्र में वायू प्रदूषण के रोकथाम हेतु मशीनरी क्रय करने हेतु आवंटित रू0 6.67 करोड़ (रू0 छः करोड़ सड़सठ लाख) की धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव में मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों की संख्या तीन करते हुए संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने हेतु जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया।
8. **मैसर्स बी0वी0जी0 इंडिया प्रा0 लि0 व मैसर्स चेन्नई एम0एस0डब्लू0 द्वारा सफाई का कार्य संतोषजनक न किये जाने के दृष्टिगत Show Cause नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गयें**
9. सैक्टर 94 में स्थित Integrated Command Control Center में तैनात स्टाफ को एजेंसी वार मॉनीटीरिंग का कार्य सौंपने का कार्यालय आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये।
10. सैक्टर 94 Command Control Center भवन में भूतल पर दो कक्ष साइबर क्राइम सेल को आंवटित करने हेतु निर्देशित किया गया।
11. **नौएडा प्राधिकरण के वित्त पोषण से विभिन्न सैक्टरों में स्थापित कम्पोस्ट मशीनों का सर्वेक्षण कर तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए तथा जिन वेन्डरों द्वारा मशीनों का संचालन नही किया जा रहा है उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा उनका Empanelment समाप्त करने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।**